



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक: प्रशा./529/2021
दिनांक: 17.04.2021

सेवा में,

1. निदेशक / संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
समस्त आवासीय संस्थान
डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।
2. प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय / महोदया,


कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्र संख्या 1064 / सत्तर-3-2021-08(20) / 2020 उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 15.04.2021 के सन्दर्भ में जारी आदेश संख्या प्रशा/527/2021 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अग्रिम आदेश तक, विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों / विभागों / सम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा समूह "ख" "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे शिक्षक एवं कर्मी (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आये तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


17.04.21
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त सहायक कुलसचिवगण।
3. प्रभारी विश्वविद्यालय वेब साइट को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं आवासीय संस्थानों की लॉगिन-आईडी पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अधीक्षक, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
5. समस्त अधीक्षकगण।सय
6. गार्ड फाइल।


प्रभारी कुलसचिव